पत्रांकः—वन भूमि—05 / 2024..................... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

अभय कुमार,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,
राँची—834002

पटना—15, दिनांक........................

विषय :— भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप—नुमालीगढ़ Crude Oil Under Ground Pipe Line बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.42541 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप—नुमालीगढ़ Crude Oil Under Ground Pipe Line बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.42541 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव मुख्य महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट पाईपलाईन), नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि०, 122A जी०एस० रोड, चिरिसटानबस्ती, गुवाहाटी द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत Crude Oil Under Ground पाईप लाईन बिछाने हेतु चिन्हित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा सुरक्षित वन (पथ तट, बाँध तट एवं नहर तट) के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप—नुमालीगढ़ Crude Oil Under Ground Pipe Line उक्त अधिसूचित वन भूमि से गुजरेंगे। प्रस्तावित परियोजना का निर्माण राज्य के तीन वन प्रमंडलों के अंतर्गत होना है, जिसमें 0.42541 हे० वन भूमि का अपयोजन तथा 06 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः—

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	Translocate किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	वानस्पतिक घनत्व
1	अररिया	0.093	00	00	0.1
2	पूर्णियाँ	0.32341	00	00	0.1 से कम
3	भागलपुर	0.009	12	06	0.05
	कुल	**0.42541**			

विषयांकित परियोजना में 0.42541 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है तथा भागलपुर वन प्रमंडल में परियोजना स्थल पर 18 वृक्ष अवस्थित है, जिसमें से 12 वृक्षों का प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पुर्नस्थापन कराया जायेगा तथा 06 वृक्षों का पातन होना है। इस निमित वृक्ष सुरक्षा योजना संलग्न है। अपयोजित होने वाली वनभूमि गोगाबील पक्षी आश्रयणी वन्यप्राणी आश्रयणी के ईको सेंसेटिव जोन से बाहर है।

कुल–0.42541 हे० वन भूमि अपयोजन के विरूद्ध संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43/2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है।

विषयक परियोजना में कुल 06 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है तथापि हरितावरण बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी को देने का शर्त अधिरोपित किया गया है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.42541 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,07,449/–(चार लाख सात हजार चार सौ उनचास रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. यद्यपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा फिर भी हरितावरण बनाये रखने के लिये 100 वृक्षों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में अद्यतनद र पर जमा कराया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1580/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–05/2024....................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक......................................

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/मुख्य महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट पाईपलाईन), नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि०, 122A जी०एस० रोड, चिरिसटानबस्ती, गुवाहाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–05/2024...157....../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...15/03/24...

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

13/3/24

(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-280

Van Bhumi:- 05/2024

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 0.42541 ha. forest land for Installation of Paradip-Numaligarh Crude Oil Pipe Line Project under Five Districts may be sanctioned subject to the condition/ stipulation mentioned in the forwarding letter

Signature:-

Name of Designation:-

Date:- 13/3/24

Place:- PATNA

Official Seal अपर सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना